प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के 02 (दो) अंक मिलेंगे व प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 (एक तिहाई) अंक काटे जाएँगे।

प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्न पत्र – प्रथम

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान (General Knowledge)	50	100	200	3 घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई भी)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा, इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक–पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे।

प्रश्न पत्र – द्वितीय

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य अभिरुचि परीक्षण (General Aptitude Test)	50	100	200	3 घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि)	50	100		

उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिए अनिवार्य है। खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि) होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। सम्बन्धित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे।

परिशिष्ट–1

भारांकों से सम्बन्धित प्रावधान

श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
'A'	**राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर्विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को**	
	1. इन्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा	
	(अ) प्रथम स्थान आने पर	15
	(ब) द्वितीय स्थान आने पर	10
	(स) तृतीय स्थान आने पर	05
	2. टीम आइटम में	
	(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15
	(ब) सर्वउपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर	10
	(स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05
	3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	
	(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10
	(ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10
	नोट : 1) उपर्युक्त 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही मद/प्रतियोगिता का लाभ दिया जाएगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा। 2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
'B'	**नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी**	
	1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
	या	
	2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
	या	
	3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	15
	या	
	4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10
	या	
	5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05

	या	
	6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15
	या	
	7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10
	या	
	8. स्काउट एवं गाइड्स गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05
	नोट : 1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा। 2) किसी भी आइटम के लिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत् शैक्षणिक सत्रों में सेवा/सदस्यता से है।	
'C'	**स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण**	15
'D'	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हों या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों।	15
'E'	ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हों या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हों, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए)	15
'F'	**ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)**	15
	नोट : 1. श्रेणी 'C' से 'F' तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिए गए हैं। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। 2. यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त श्रेणी 'A' से 'F' तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अधिकतम 25 अंकों का ही लाभ दिया जाएगा। 3. खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट–गाइड/रोवर्स–रेंजर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अन्तिम तिथि से पूर्व में अर्जित किए गए हों। **टिप्पणी : काउन्सलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।**	

परिशिष्ट–2

संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019–21 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों के नाम
1.	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली–243006
2.	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा–282004
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
4.	डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या–224001
5.	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ–200005
6.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी–248128
7.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–221002
8.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221001
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर–222003
10.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009
11.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208025
12.	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज–211002
13.	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया–277301
14.	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर–272205
15.	ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू–अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ–226013
16.	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोयडा–201312

परिशिष्ट–3

राज्य स्तरीय बी0एड0 (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2019–21 के परीक्षा केन्द्रों के लिए प्रस्तावित शहरों की सूची

क्रम संख्या	शहर का नाम	कोड
1.	बरेली	40
2.	मुरादाबाद	41
3.	आगरा	42
4.	अलीगढ़	43
5.	मेरठ	44
6.	गाज़ियाबाद	45
7.	झाँसी	47
8.	जौनपुर	48
9.	आजमगढ़	49
10.	प्रयागराज	50
11.	लखनऊ	51
12.	कानपुर	53
13.	वाराणसी	57
14.	अयोध्या	60
15.	गोरखपुर	61